उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ

संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार

एवं

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में

समझौता ज्ञापन (Memorandum Of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ(प्रथम पक्ष) एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 05 फरवरी, 2026 को निष्पादित किया जा रहा है।

उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय सन्दर्भ में अध्ययन, तत्संबंधी शोध तथा जैन तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक महत्व की परम्परा, आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण एवं विश्लेषण, भारत में उपलब्ध जैन विद्या संबंधित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, संबंधित ग्रन्थों का क्रियात्मक अध्ययन, उपलब्ध सामग्री का भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रमाणिक भाषान्तर, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या के तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी, व्याख्यान, सम्मेलन तथा जैन धर्म से सम्बन्धित और संदर्भित ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, माइक्रोफिल्मों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना है। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.upjvri.org.in पर प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय पक्ष तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, प्रदेश का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, जो जैन दर्शन सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन, अध्यापन, उच्च स्तरीय शोध कार्य एवं शैक्षणिक कार्य कर रहा है । संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.tmu.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं ।

अनुच्छेद 1:- समझौता का उद्देश्य

समझौता का उद्देश्य जैन धर्म, संस्कृति तथा इससे संबंधित अध्ययन व शोध कार्य में अनुसंधान एवं शिक्षा के अवसर उत्पन्न करना है। सांस्कृतिक कार्यकलापों का विस्तार करना तथा संभावित उद्देश्यपूर्ण सहयोग के लिए संभावनाओ को तलाशना व उनका अनुसरण करना।

समझौता के प्रमुख अंग निम्न प्रकार से है:-

- अभिरुचि के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम - उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से अनुसंधान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना एवं पारस्परिक हित एवं लाभ के कार्यक्रम आयोजित करना।
- छात्र विनिमय- दोनों पक्षकारों के छात्र विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत सहमति से MOU के समस्त कार्यों/उद्देश्यों को करना, जो पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकरों के लिए हितकारी हो।
- विनिमय छात्रों का चयन दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से होगा।
- संकाय विनिमय कार्यक्रम – गुरू-शिष्य परम्परा को आयोजित करना, जो पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकरों के लिए हितकारी हो।
- अंतः विषय अध्ययन - जैन धर्म, संस्कृति तथा इससे संबंधित समस्त अध्ययन व शोध कार्य में पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे से सहयोग व सहायता प्राप्त करना तथा उपरोक्त की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना।
- अनुसंधान एवं शिक्षण कार्यक्रमों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
- शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री और उनके लिए प्रासंगिक अन्य साहित्य पर जानकारी का आदान-प्रदान करना तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- आपसी सहमति से सतत दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक शैक्षणिक/ शोधपरक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- उक्त कार्यक्रम हेतु संकायों का आदान-प्रदान करना।
- संयुक्त रूप से संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा इसमें भाग लेने के लिए एक-दूसरे के संकाय को आमंत्रित करना।
- वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से प्रस्तावित करना, प्रतिभाग करने के लिए तथा इसमें भाग लेने के लिए एक-दूसरे के संकाय को आमंत्रित करना।
- विनिमय करने के लिए, पारस्परिक आधार पर स्नातक, परास्नातक व शोध स्तर पर विद्यार्थियों का शिक्षा और शोध के उद्देश्य के लिए सीमित समयावधि के लिए चयन।
- पारस्परिक सहमति से किसी अन्य प्रकार का सहयोग करना, जिसके लिए उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मध्य सहमति बनें।

<u>अनुच्छेद 2:- समझौता की अवधि</u>

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये प्रभावी होगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष

पर तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरांत कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

अनुच्छेद 3:- विशेष प्रावधान

- दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का अदान-प्रदान करेंगे।
- दोनों पक्ष सुचारू एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे।
- दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।
- इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा।
- सभी विवाद जो इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से वार्ता के माध्यम से सुलझाया जायेगा।
- दोनों पक्षकार एक-दूसरे से कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 4:- समन्वय

प्रत्येक पक्षकार अपनी ओर से अपने शिक्षण/शोध/अनुसंधान संकाय के एक सदस्य को समन्वयक नियुक्त करेगा। दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।

विवादों का निपटारा:-

संबंधित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से संबंधित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा, जिन्हें पक्षकारों द्वारा पूर्ण रूप तथा संतोषजनक ढंग से हल या सुलझाया नहीं जा सकता है, दोनों पक्षों के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन:-

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

योजना:-

- उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मध्य नवीन डिजिटल माध्यमों से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग दोनों संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- दोनों पक्षकार शोध के लिए जैन धर्म, संस्कृति से संबंधित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवासी साहित्य को अन्तः विषय अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।
- सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध अदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दवाब व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहनों की उपस्थिति में किया गया है।

यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे।

यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक 05 फरवरी, 2026 को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।

(अमित कुमार अग्निहोत्री)
निदेशक
उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान,
(संस्कृति विभाग, उ0प्र0)

5/2/26

(डॉ0 वैभव रस्तोगी)
संयुक्त कुलसचिव
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश।

गवाहः-

1. हस्ताक्षर
प्रो. (डॉ.) अभिषेक कुमार जैन
अध्यक्ष

गवाहः-

1. हस्ताक्षर
5/2/2026
Dr V.K. Jain
(Vice chancellor)